

**न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला****भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-679/12****संस्थित दिनांक-30.08.12**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

रमेश पुत्र मोतीलाल मिर्धा उम्र 38 साल

निवासी गोदन हरिजन मौहल्ला थाना गोदन

जिला दतिया म0प्र0

.....अभियुक्त

--: निर्णय :-

{आज दिनांक 09.10.17 को घोषित}

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-ख) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 15.08.12 को 22:00 बजे या उसके लगभग राम जानकी मंदिर के पास स्थित प्रतीक कुशवाह की दुकान भिण्ड रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे की तलवार जिसकी लंबाई ढाई फीट प्रतिबंधित आकार का रखी।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना गोहद चौराहा पर दिनांक 15.08.12 को पदस्थ प्र0आर0 493 ब्रजराजसिंह गश्त पर प्र0आर0 आशाराम, आरक्षक ब्रजेन्द्रसिंह, सैनिक रजनीश शर्मा के साथ गए हुए थे। दौरान गश्त जैतपुरा बिरखडी, गोहद रोड, छीमका व पिपाहडी हैट गश्त कर गोहद चौराहा वापस आए तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद शर्ट काली धारीदार पैंट पहने लोहे की तलवार लिए प्रतीक कुशवाह की दुकान पर रामजानकी मंदिर के पास खड़ा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे उक्त फोर्स एवं गवाह गजेन्द्र कुशवाह व प्रतीक कुशवाह की मदद से घेरकर पकड़ा। नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम बताया। तलाशी लेने पर एक लोहे की तलवार बिना मूठ की मिली, लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। जिसे मौके पर विधिवत जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाया गया, उसे गिर0 कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाने पर वापस आकर अपराध क्रमांक 147/12 पर पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लिए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.08.12 को 22:00 बजे या उसके लगभग राम जानकी मंदिर के पास स्थित प्रतीक कुशवाह की दुकान भिण्ड रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे की तलवार जिसकी लंबाई ढाई फीट प्रतिबंधित आकार का रखी ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में गजेन्द्रसिंह अ०सा० 1, प्रतीक अ०सा० 2, ब्रजराजसिंह अ०सा० 3, को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. प्रकरण में जब्तीकर्ता ब्रजराजसिंह अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 15.08.2012 को वे थाना गोहद चौराहा में प्र०आ० गश्ती के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को हमराही फोर्स प्र०आ० 802 आशाराम, आरक्षक 1043 ब्रजेन्द्रसिंह तथा सैनिक रजनीश शर्मा के साथ थाने से रोजनामचा सान्हा क्र० 557 समय 17:50 बजे शासकीय वाहन एम०पी० 03-5706 से रवाना हुए जो छीमका बंधा तक एवं जैतपुरा बिरखडी तक रोड गश्त बाद पिपाहडी हैट तक रोड पेटरोलिंग की, बाद में कस्बा चौराहा वापस आए तो जयें मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति सफेद शर्ट व काली धारीदार पैंट पहने प्रतीक शर्मा की दुकान पर बैठा है जो तलवार लिए है जिसकी तस्दीक हेतु मय फोर्स मौके पर पहुंचकर तस्दीक की तथा उक्त व्यक्ति को तलवार का वैध लायसेंस चाहा तो उसने लायसेंस न होना बताया। साक्षीगण गजेन्द्र एवं प्रतीक कुशवाह के सामने तलवार प्र०पी० 1 के अनुसार जब्त कर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अभियुक्त को गिर० कर गिर० पंचनामा प्र०पी० 2 बनाया जाना जिस पर अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् थाने लौटकर सान्हा क्र० 565 दिनांक 15.08.12 प्र०पी० 5 पर इन्द्राज किये जाने जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् प्र०पी० 6 की प्राथमिकी लेखबद्ध कर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में प्र०पी० 1 व 2 की कार्यवाही के साक्षी गजेन्द्र अ०सा० 1 व प्रतीक अ०सा० 2 हैं। उक्त दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करते। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षीगण

ने उनके समक्ष अभियुक्त के आधिपत्य से कथित तलवार जब्त किए जाने के तथ्य का कोई समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार से अभियोजन का संपूर्ण मामला ब्रजराजसिंह अ0सा0 3 के कथन पर निर्भर हो जाता है। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है एवं उसे झूठा अपराध में लिप्त किया है। इस ओर ध्यान आकर्षित कराया कि जब्ती स्थल खुला व सार्वजनिक स्थान बताया गया है किन्तु कोई सार्वजनिक साक्षी समर्थन नहीं करता है। यह तथ्य अभिलेख पर है कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु मात्र इस तथ्य से संपूर्ण मामला ध्वस्त नहीं हो जाता है। जब्तीकर्ता अधिकारी की अभिसाक्ष्य यदि विश्वसनीय हैं तो उस पर मामला प्रमाणित हो सकता है।

8. ब्रजराजसिंह अ0सा0 3 जो कि थाने से शाम 5:50 बजे शासकीय वाहन से रवाना होने का कथन करते हैं, वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि वे छीमका रोड कितने बजे पहुंचे, छीमका से बिरखडी गश्त के लिए कितने बजे गए व लौटकर कितने बजे आए। कथित मुखबिर की सूचना 22 बजे अर्थात् रात्रि 10 बजे स्टेशन रोड पर गश्त के दौरान मिलना बताते हैं, तत्पश्चात् जब्ती स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त के दुकान के सामने बेंच पर बैठे होने का कथन करते हैं। कथित रवानगी के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा का क्रमांक संबंधित जब्ती पत्रक एवं गिर0 पत्रक पर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कथित रूप से जहां जब्ती कर्ता ने जब्ती स्थल पर कथित तलवार की जब्ती तत्पश्चात् अभियुक्त की गिरफ्तारी का कथन किया है, तत्पश्चात् थाने पर आकर अपराध की प्राथमिकी प्रपी0 6 लिखे जाने का कथन किया है। जबकि जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 व गिर0 पत्रक प्रपी0 2 में प्रक्रिया क्रमांक पर संबंधित अपराध क्रमांक 147/12 पूर्व से ही अंकित है। उक्त तथ्य जब्तीकर्ता ब्रजराजसिंह अ0सा0 3 के कथन पर अविश्वास का एक आधार उत्पन्न करता है।

9. जब्तीकर्ता ब्रजराजसिंह अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त से कथित तलवार जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 के अनुसार जब्ती करना बताते हैं। साक्षी यह तथ्य स्वीकार करते हैं कि जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 में कॉलम नं0 13 की नमूना सील रिक्त है। प्र0पी0 1 पर ऐसा कोई पृष्ठांकन भी नहीं है कि कथित तलवार को मौके पर सीलबंद किया गया हो। ऐसी दशा में ढाई फीट की तलवार जो जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 में जब्त होना बताई गयी है उसकी अनन्यता को सुनिश्चित करने के संबंध में अभिलेख पर विश्वसनीय आधार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्र0पी0 1 के कथित जब्ती पत्रक अनुसार जब्तशुदा तलवार थाने के किस नंबर पर जमा की गयी, इसका भी उल्लेख संपूर्ण अभियोगपत्र में कही भी नहीं है। न्यायालय में कथित तलवार की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। जब्तीकर्ता द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया कि उन्होंने कथित जब्तशुदा तलवार के धारदार होने अथवा प्रतिबंधित आकार के होने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट किया हो। कथित तलवार की लंबाई ढाई फीट को किस प्रकार से और कहां नापा गया यह भी स्पष्ट नहीं किया है।

10. जब्तीकर्ता द्वारा कथित दिनांक 15.08.12 को थाने से मय हमराह फोर्स के खाना होने और वापसी पर रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि का कथन किया है। वापसी रोजनामचा प्र0पी0 5 के रूप में प्रदर्शित कराया है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है, उसे मूल से प्रमाणित करना चाहिए था। साथ ही खानगी रोजनामचा सान्हा क्रमांक एवं वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक का कोई उल्लेख प्र0पी06 की प्राथमिकी में नहीं किया गया है। इस प्रकार से जहां एक ओर अभियुक्त से कथित तलवार की जब्ती के संबंध में किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है वहीं इसके अतिरिक्त प्रस्तुत जब्तीकर्ता की साक्ष्य भी उपरोक्त संदिग्ध व अपुष्ट परिस्थितियों से आच्छादित है। संदेह कितना भी दुर्बल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है न ही सबूत को प्रतिस्थापित कर सकता है। दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 15.08.12 को 22:00 बजे या उसके लगभग राम जानकी मंदिर के पास स्थित प्रतीक कुशवाह की दुकान भिण्ड रोड गोहद चौराहा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक लोहे की तलवार जिसकी लंबाई ढाई फीट प्रतिबंधित आकार का रखी। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलकर 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

12. प्रकरण में जब्तशुदा तलवार मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दफ्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश